SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति की शिक्षा के लिए सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओ के प्रभावकारिता का अध्ययन–छत्तीसगढ़ के सन्दर्भ में

सुनील कुमार सेन, (Ph.D.), शिक्षा विभाग,
लालबहादुर, शोधार्थी, शिक्षा विभाग,
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, भारत

ORIGINAL ARTICLE

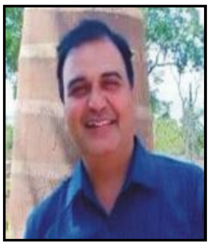

Corresponding Authors

सुनील कुमार सेन, (Ph.D.), शिक्षा विभाग,
लालबहादुर, शोधार्थी, शिक्षा विभाग,
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय,
बिलासपुर, छत्तीसगढ़, भारत

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 20/07/2022
Revised on : -----
Accepted on : 27/07/2022
Plagiarism : 01% on 20/07/2022

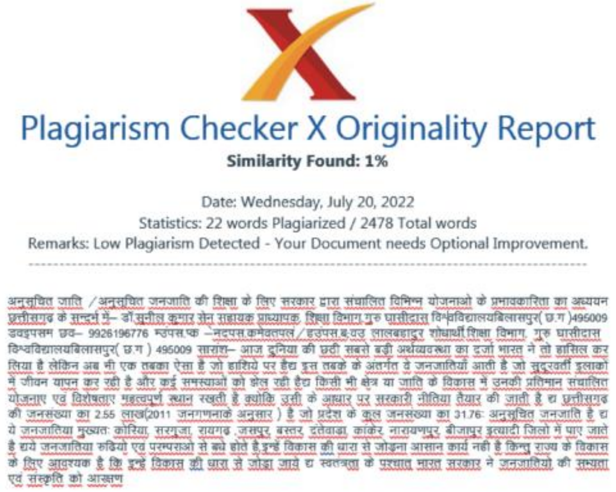
Plagiarism Checker X Originality Report
Similarity Found: 1%

Date: Wednesday, July 20, 2022
Statistics: 22 words Plagiarized / 2478 Total words
Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

शोध सार

आज दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा भारत ने तो हासिल कर लिया है लेकिन अब भी एक तबका ऐसा है जो हाशिये पर है। इस तबके के अंतर्गत वे जनजातियाँ आती है जो सुदूरवर्ती इलाकों में जीवन यापन कर रही है और कई समस्याओं को झेल रही है। किसी भी क्षेत्र या जाति के विकास में उनकी प्रतिमान संचालित योजनाए एवं विशेषताएं महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योकि उसी के आधार पर सरकारी नीतियाँ तैयार की जाती है। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या का 2.55 लाख (2011 जनगणना के अनुसार) है जो प्रदेश के कुल जनसंख्या का 31.76 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति है। ये जनजातियाँ मुख्यतः कोरिया, सरगुजा, रायगढ़, जसपुर, बस्तर, दंतेवाडा, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर इत्यादि जिलो में पाए जाते है। ये जनजातियाँ रुढियो एवं परम्पराओ से बधे होते है,इन्हें विकास की धारा से जोड़ना आसान कार्य नही है, किन्तु राज्य के विकास के लिए आवश्यक है कि इन्हें विकास की धारा से जोड़ा जाये । स्वतंत्रता के पश्चात् भारत सरकार ने जनजातियो की सभ्यता एवं संस्कृति को आरक्षण में रखते हुए विकास की योजनाएं क्रियान्वित किये है, इन योजनाओ के फलस्वरूप जनजातियो का आर्थिक विकास तेज गति से हुआ है।

मुख्य शब्द

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शिक्षा, योजनाए, समस्याए, अनुसूची.

प्रस्तावना

आधुनिक युग में शिक्षा का महत्व बढ़ गया है आज निम्न वर्ग वाले व्यक्ति भी यही चाहते है कि उसका बेटा पढ़ लिख कर अपने पैरो पर खड़े हो जाये। वर्तमान

समय में शिक्षा मानवीय जीवन की अवधारणा है। इसी से मानव अपने को नवीन सभ्यता के क्षेत्र को सामने लाता है। विद्यालय शिक्षा के विभिन्न स्तरों में विद्यार्थियों को जातिवर्ग समूह के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग, । 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की जनसंख्या 16.5 करोड़ थी इनकी साक्षरता दर उस समय 66.1 प्रतिशत थी और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 8.43 करोड़ थी, इनकी साक्षरता दर 59 प्रतिशत थी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या लगभग 25 करोड़ थी जो देश की आबादी का 24 प्रतिशत था। वर्तमान समय में देखा जाये तो सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु किया जा रहा है जिसका प्रमुख आधार शिक्षा से सम्बंधित योजनाये है। सामान्यतः देखा गया है कि सामान्य वर्ग की तुलना में अनुसूचित जनजाति वर्ग की शैक्षिक स्थिति निम्न पायी गयी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारतीय संविधान अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 46, में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बालक एवं बालिकाओं के शैक्षिक आर्थिक हितो पर ध्यान दिया गया है।

अनुच्छेद 15, में धर्म, मूलवंश, जाति, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध (कश्यप,2012)

अनुच्छेद 16, में सरकारी नौकरी सभी के लिए होगी व अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष सुविधा सुरक्षित स्थानों के रूप में होगी (कश्यप,2012)।

अनुच्छेद 28, में शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के मामले कोई भेदभाव किसी के साथ नही बरता जायेगा (कश्यप,2012)।

संविधान के धारा 340 में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया था कि वह संविधान लागू होने के एक वर्ष के अंदर ऐसे आयोग का गठन करे जो जो समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान और उनको दिए जाने वाले अनुदान के विषय में सुझाव दे। 1960–62 में ढेबर समिति का गठन किया गया उसमे अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति बालक बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था के सन्दर्भ में निम्न सुझाव दिए गयेः

1. अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के योजनाओं को और अधिक विस्तार किया जाये।
2. आदिवासी क्षेत्रो में आवासीय एवं निःशुल्क आश्रम खोला जाये।
3. इन जातियों व जनजातियों के बालक बालिकाओं के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाये।

भारत का संविधान अनुसूचित जनजातियो तथा पिछड़े वर्गों कि सुरक्षा तथा संरक्षण प्रदान करता है।

अनुसूचित क्षेत्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

जनजातियाँ वह मानव समुदाय है जो एक अलग निश्चित भू–भाग में निवास करती है और जिनकी एक अलग संस्कृति, अलग रीति–रिवाज, अलग भाषा होती है तथा ये केवल अपने ही समुदाय में विवाह करती है। सरल अर्थों में कहा जाये तो जनजातियों का अपना एक वंशज, पूर्वज तथा सामान्य से देवी–देवता होते है। ये अमूमन प्रकृति पूजक होते है। भारतीय संविधान में जहाँ इन्हें अनुसूचित जनजाति कहा जाता है तो दूसरी ओर इन्हें अन्य कई नामो से भी जाना जाता है, जैसे आदिवासी, आदिम–जाति, वनवासी, प्रागैतिहासिक, असभ्य जाति, कबीलाई समूह, असाक्षर, निरक्षर इत्यादि नामो से जाना जाता है। संविधान के पन्नो को देखे तो जहाँ एक तरफ अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान है तो वही दूसरी तरफ अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजाति क्षेत्रो के प्रशासन का उपबंध है। इसके अलावा अनुच्छेद 17 समाज में किसी तरह की अस्पृश्यता का निषेध करता है तो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 46 के तहत राज्य को यह आदेश दिया गया है कि वह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और उनके अर्थ सम्बन्धी हितो की रक्षा करे। अनुसूचित जनजातियों के हितो की अधिक प्रभावी तरीके से रक्षा हो इसके लिए 2003 में 89वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित

जनजाति आयोग की स्थापना भी की गयी। संविधान में जनजातियों के राजनितिक हितो की रक्षा की गयी है। उनकी संख्या के अनुपात में राज्यों की विधानसभाओ तथा पंचायतो में स्थान सुरक्षित रखे गये है। संवैधानिक प्रावधानों से इतर भी कुछ कार्य ऐसे है जिन्हें सरकार जनजातियों के हितो को अपने स्तर पर भी देखती है। इसमें सरकारी सहायता अनुदान, आर्थिक उन्नति हेतु प्रयास,सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व हेतु उचित शिक्षा व्यवस्था, छात्रावासो का निर्माण और छात्रवृत्ति की उपलब्धता तथा सांस्कृतिक सुरक्षा मुहैया कराना इत्यादि। इसी के साथ केंद्र तथा राज्यों में जनजातियों के कल्याण हेतु अलग– अलग विभागों की स्थापना की गयी है। देश में इस समय 9 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र है। ये राज्य है –आन्ध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, महारष्ट्र, मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति(1986)

कोठारी आयोग के सुझाव पर सरकार ने शिक्षा नीति में यह व्यवस्था किया गया कि शहरी तथा ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रो में बसे सभी बालक–बालिकाओं को शिक्षा का समान अवसर प्रदान किया जाये। इस नीति की घोषणा के बाद अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के बालक एवं बालिकाओं पर विशेष ध्यान दिया गया उनके लिए वि।ालय खोले गये साथ ही साथ छात्रवासों का निर्माण किया गया और छात्रवृत्तियों को बढाया गया। इस समय केंद्र सरकार इनके कल्याण के लिए ब्लाक स्तर पर अनुदान देती हैं जिन्हें प्रांतीय सरकारे विभिन्न शैक्षिक योजनाओं पर व्यय करती है।

उद्देश्य

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बालक बालिकाओं की विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करना।
2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बालक बालिकाओं को दी जाने वाली शैक्षिक सुविधाओं का अध्ययन करना।

पूर्वानुमान

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बालक बालिकाओ को शैक्षिक समस्याए होती है।
2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बालक बालिकाओ को शैक्षिक सुविधाए प्रदान की जाती है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की शिक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदम

आदि कल से ही वनों में वास करने वाले समूह को आदिवासी कहा जाता है। अनुसूचित जनजाति से तात्पर्य ऐसे मानव समूह से होता है जो समाज की मुख्य धारा से दूर निम्न स्तरीय जीवन यापन करते है। जिनका जीवन निर्धनता, अशिक्षा, अज्ञानता, परम्परागत रुढियों तथा अभाओं से ग्रस्त हैं,(पुनीता2011)। (मीणा,2014) आदिवासी देश की कुल आबादी का 8.14 प्रतिशत हैं और देश के क्षेत्रफल का करीब 15 प्रतिशत भाग पर निवास करते है। यह वास्तविकता है कि आदिवासी लोगों पर विशेष ध्यान की जरूरत हैं। अनुसूचित जनजातियो के कल्याण और विकास की योजना आरम्भ करना भारत के संबिधान के उद्देशिका में निहित है। शिक्षा आयोग (1964–66) ने अपनी रिपोर्ट में घोषणा की है कि भारत का भविष्य अब स्कूली कक्षाओ में निर्मित हो रहा है। अनुसूचित जनजाति आधुनिक सभ्यता से दूर जंगलो पहाड़ी क्षेत्रो में रहते है। इनकी विरासत अत्यंत समृद्ध है,परन्तु ये समुदाय अपनी भौगोलिक स्थिति के दुर्गम होने के कारण अन्य समुदाय से अलग है। जनजाति शिक्षा की आवश्यकता और शिक्षा के महत्त्व को न समझने के कारण ये समुदाय शिक्षा के माध्यम से होने वाले विकास का लाभ प्राप्त करने में असमर्थ रहे है। सरकार ने भी जनजातियों के उत्थान की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किये है। अनुसूचित जनजाति के छात्रो के लिए एकलव्य आदर्श योजना शुरू हुयी है। इसका उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्र में रहने वाले विद्यार्थियों को मध्यम एवं उच्च स्तरी शिक्षा प्रदान करना है, वही अनुसूचित जनजाति कन्या शिक्षा योजना निम्न साक्षरता वाले जिलो में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए प्रारम्भ की गयी है।

अनुसूचितजाति/अनुसूचित जनजाति शिक्षा कि समस्याए

किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके सभी नागरिक शिक्षित हो। यदि भारतीय समाज का लगभग 8 प्रतिशत जनजाति समुदाय इस प्रक्रिया से अलग से रह गया तो राष्ट्र विकास के प्रमुख लक्ष्य प्राप्त नही किया जा सकता। भारतीय समाज में एक सामान शिक्षा प्रणाली हो जो शिक्षा में व्याप्त असमानता को बेहतर कर सके लेकिन भारतीय समाज में जनजातीय शिक्षा तथा सामान्य शिक्षा में 75 वर्षो बीत जाने के बाद भी भारी असमानता है। जनजातियाँ ऐसे इलाको में निवास करती है जहाँ तक बुनियादी सुविधाओं की पहुंच न के बराबर है। लिहाजा ये बहुत सारी समस्याओं से जूझ रही है। अगर बात करे सामाजिक समस्याओं की तो आज भी सामाजिक सम्पर्क स्थापित करने में अपने आपको सहज नही पाती है।इसका कारण ये सामाजिक–सांस्कृतिक अलगाव, भूमि अलगाव, अस्पृश्यता की भावना महसूस करती है। इसी के साथ इनमे शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य तथा पोषण सम्बन्धी सुविधाओं से वंचित की स्थिति भी मिलती है। आज भी जनजातीय समुदायों का एक बहुत बड़ा वर्ग निरक्षर है इससे ये आम बोलचाल की भाषा को समझ नही पाते है। सरकार की कौन कौन सी योजनाएँ इनके लिए है इनकी जानकारी तक इनको नही हो पाती है, जो इनके सामाजिक रूप से पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण है।

इन जनजातियों के आर्थिक रूप से पिछड़ने की बात की जाये तो इसमें प्रमुख समस्या गरीबी तथा ऋणग्रस्तता है। आज भी जनजातियों के समुदाय का एक तबका ऐसा है जो दुसरो के घरो में काम कर अपना जीवन यापन कर रहा है। माँ–बाप आर्थिक तंगी के कारण अपने बच्चो को पढ़ा–लिखा नही पाते है तथा पैसे के लिए उन्हें बड़े–बड़े व्यवसायियों या दलालों को बेच देते है। लिहाजा बच्चे या तो समाज के घृणित से घृणित कार्य को अपनाने हेतु विवश हो जाते है अन्यथा उन्हें मानव तस्करी का सामना करना पड़ता है।

अनुसूचितजाति/अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक पिछड़ेपन के कारण

अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण निम्नलिखित है:

1. समाज से अलग–थलग रहना है।
2. घुम्मकड़ प्रवृत्ति।
3. आधुनिक सभ्यता से दूर निवास करना।
4. विशिष्ट भाषाएं तथा बोलिया।
5. रूढ़िवादी मानसिकता।
6. इनकी भाषाओ में पाठयपुस्तको की कमी।
7. शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का अभाव।
8. स्कूल का वातावरण अनुकूल न होना।

अनुसूचितजाति/अनुसूचित जनजाति के लिए राज्य व केंद्र सरकार के द्वारा चलाये जा रहे प्रमुख योजनाये –जनजातियो के उत्थान के उद्देश्य से सरकार ने 1999 से जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन किया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य जनजातियो का समग्र विकास सुनिश्चित करना है।आदिवासी क्षेत्रो में संचालित कुछ योजनाए निम्न है।

1. छात्रवृत्ति प्रदान करना।
2. छात्रावास की सुविधा।
3. पाठ्यपुस्तक निःशुल्क योजना (राज्य शासन द्वारा)।
4. जनजाति क्षेत्रो में स्कुल खोलना।
5. कोचिंग कक्षाए संचालित करना।

6. शिक्षा संस्थानों में आरक्षण।
7. मध्याह्न भोजन।
8. सरस्वती सायकल योजना(राज्य सरकार द्वारा संचालित छ.ग.)
9. आवासीय विद्यालय (नवोदय,एकलव्य)।
10. अम्ब्रेला योजना।

इन योजनाओ से अनुसूचित जनजाति की शिक्षा को गति मिल रही है। जनजाति बालक/बालिकाओ को शिक्षा प्राप्ति के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान किये जा रहे है जिससे शिक्षा में व्याप्त असमानताओ को दूर किया जा सके एवं जनजातिय समूह के लोग मुख्यधारा में जुडकर राष्ट्र के विकास में अपनी सहभागिता को सुनिश्चित कर सके।

अध्ययन की आवश्यकता

विश्व के प्रत्येक राष्ट्र तथा मानव जाति के लिए शिक्षा का प्रश्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण है शिक्षा के आभाव में व्यक्ति, समाज, राष्ट्र का विकास संभव नही हैं। वर्तमान समय में जहाँ जनसंख्या वृद्धि नगरीकरण तथा आधुनिकीकरण को महत्व दिया जा रहा है, उसके पश्चात् भी भारत जैसे विकासशील देश में सुदूर क्षेत्र आज भी देखे जा सकते है जो कि विभिन्न सुविधाओं से वंचित है,तथा जहाँ आदिवासी अर्थात् अनुसूचित जनजाति समूह पाए जाते है। गौतम (2016) ने पाया कि कि विकास कार्यक्रम का प्रभाव उन पर नहीं पड़ रहा हैं, आज भी वे अज्ञान एवं रुढ़िवादी अन्धविश्वास पर आधारित हैं। जनजातियों में केवल 63.75 प्रतिशत लोग ही बच्चों को विद्यालय भेजने के पक्ष में है। चौहान (2014) ने पाया कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उत्तर दाताओं ने पिछड़ेपन का कारण उनकी अशिक्षा, गरीबी, जागरूकता की कमी तथा कुछ अंशों द्वारा सामाजिक उपेक्षा भी प्रमुख कारण है। कोष्टा (2011) ने मंडला जिले के सन्दर्भ में अध्ययन" किया जिसमे शोधार्थी ने पाया कि जनजाति समुदाय की निजी आवश्यकताये यद्यपि बहुत सीमित होती है और ये अपनी जरुरतो को अपने आश्रयदाता जंगलो से पूरा भी कर लेते थे, परन्तु आधुनिक अर्थव्यवस्था में इनके अधिकारों को सीमित ही नहीं बल्कि ख़त्म कर दिया है। उपरोक्त अध्ययन से जनजातियों के सामाजिक एवं आर्थिक,शैक्षिक स्थितिं से सम्बंधित अध्ययन से यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वास्तव में अनुसूचित जनजाति विभिन्न सुविधाओं द्वारा सामान्य रूप से समाज से जुड़े भी हैं या नहीं। कई जनजाति समूह आज भी पहाड़ो में स्थित हैं तथा पौराणिक गतिविधि के द्वारा जीवन–यापन कर रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक उत्थान के लिए उठाये गये सराहनीय कदमो के बावजूद देश भर में जनजातिय विकास को और मजबूत करने की दरकार है और यह विकास जनजातियों की शिक्षा के द्वारा ही सम्भव है। यह सही है कि जनजातियों का एक खास तबका समाज की मुख्यधारा में आने से कतराता है, लेकिन ऐसे में इनका समुचित विकास और संरक्षण भी महत्वपूर्ण हो जाता है।

निष्कर्ष

अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की विभिन्न शैक्षिक समस्याएँ जैसे–शैक्षिक समस्या, मनोवैज्ञानिक समस्या,सामाजिक समस्या प्रमुख हैं। अतः अनुसूचित जनजातिय बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण विद्यार्थी अन्य सामाजिक विभिन्नता से परिचित नहीं है, जिसके कारण उनमे भाषा सम्बंधित ज्ञान का अभाव पाया गया क्योंकि वहां अधिकतर विद्यार्थी स्थानीय भाषा का प्रयोग करते है। जनजातिय क्षेत्र होने के बाद भी वहां बालिकाओं की शिक्षा को महत्व दिया जाता है, रूचि के आधार पर देखा जाये तो बालिकाओं की रूचि बालकों की अपेक्षा पढ़ाई में अधिक है, जिसके कारण महिलाओं की शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है। अनुसूचित जनजातिय समाज विस्तृत होने के कारण वहां सामाजिक कार्यों तथा एक–दुसरे से जुड़े रहने की प्रक्रिया स्पष्ट होती है जिससे यह स्पष्ट होता है कि जनजातिय बाहुल्य क्षेत्र के ग्रामीण विद्यार्थियों में भिन्न सामाजिक परिवेश में सामंजस्य सम्बन्धी समस्या का सामना करना पड़ता है, जिसका प्रभाव उनकी शिक्षा पर पड़ता है। यह शोध माध्यमिक स्तर पर अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं के

भावात्मक, सामाजिक व शैक्षिक समस्याओ के बीच सम्बन्ध स्थापित करेगा और एक नये आयाम की ओर ले जायेगा व शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर अग्रशील होगा।

संदर्भ सूची

1. गुप्ता ए., *शिक्षा के सामाजिक आधार,* शारदा पुस्तक भवन इलाहाबाद पेज न.२०७।
2. गुप्ता शिखा, छात्रवृत्ति एवं विद्यार्थियों द्वारा इसका योजना का उपयोग।
3. गुप्ता एस.पी., अध्यापक शिक्षा।
4. गौतम वी. (2016) सीधी जिले के देवसर विकासखण्ड में जनजातिय शिक्षा का विकास एक समीक्षात्मक अध्ययन। *एजुकेशन रिसर्च लिंक* –149 वोल्यूम–xv(6) पेज न.98–100
5. सिंह ए. (2016) शहडोल जिले के अनुसूचित जनजाति बालिकाओं के प्राथमिक शिक्षा स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान की प्रभावशीलता का अध्ययन एजुकेशन *रिसर्च लिंक* –149 वोल्यूम न.–xv(6)पेज 95 –97
6. सिंह आर.(2015)अनुपपुर जिले के उच्चतर माध्यमिक वि‌ालय में सामान्य वर्ग एवं अनुसूचित जनजातियों के वि‌ार्थियों की वाणिज्य विषय में शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन एजुकेशनल *रिसर्च लिंक* –141 वोल्यूम न.–xv(10) पेज न. 114–115
7. चौहान वी.(2015)अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सामुदायिक विकास में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका एक समाजस्तारिय अध्ययन जिवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर म. प्र. शोधगंगा
8. मीणा एस. (2014) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के वि‌ार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि का उनके पारिवारिक वातावरण, सामाजिक आर्थिक स्तर शैक्षिक अभिप्रेरणा के परिपेक्ष्य में तुलनात्मक अध्ययन दयालबाग एजुकेशनल इंस्टिट्यूट आगरा उत्तरप्रदेश शोधगंगा
9. सिंह ए. एवं सिंह जे.(2014) सीधी जिले में जनजातियों में उच्च शिक्षा की प्रगति का अध्ययन एजुकेशन रिसर्च लिंक –126 वोल्यूम न.xiii(7)पेज न.111–112
10. ब्रह्मणे एस. (2014) अनुसूचित जनजाति के बालक एवं बालिकाओं के व्यक्तित्व विकास पर सर्व शिक्षा अभियान का प्रभाव एक विश्लेषणात्मक अध्ययन देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर म.प्र. *शोध गंगा।*

****